धनबाद स्कूल ऑफ नर्सिंग को मिली मान्यता

चर्चा में क्यों?

15 मई, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार झारखंड के धनबाद स्कूल ऑफ नर्सिंग को मान्यता मिल गई है, जिससे अब यहाँ भी संयुक्त प्रवेश परीक्षा के जरिये छात्रों का नामांकन होगा।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि नर्सिंग कोर्स में नामांकन कराने वाले छात्रों एवं नर्सिंग स्कूल प्रबंधन को इंडियन नर्सिंग कॉउंसिल, नयी दिल्ली की मान्यता की अनिवार्यता समाप्त होने के संबंध में झारखंड सरकार ने 28 अप्रैल को अधिसूचना जारी कर दी है।
- इस संबंध में झारखंड सरकार ने संज्ञान लेते हुए झारखंड राज्य में नर्सिंग स्कूल के संचालन के लिये नियमावली जारी की है, जिसे झारखंड राज्यांतर्गत नर्सिंग संस्थानों के प्रबंधन, नामांकन व परीक्षा संचालन नियमावली का नाम दिया गया है।
- विदित है कि हाल ही में धनबाद स्कूल ऑफ नर्सिंग के छात्रों ने इंडियन नर्सिंग कॉउंसिल, नयी दिल्ली की मान्यता की अनिवार्यता की अस्पष्टता के कारण सड़क लेन को जाम किया था। झारखंड सरकार की अधिसूचना के बाद अब इस बारे में संशय की स्थिति समाप्त हो गई है।
- राज्य के धनबाद की ही बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी ने भी नर्सिंग स्कूल के छात्रों की परीक्षा को लेकर आदेश जारी कर दिया है।
- इस अधिसूचना के माध्यम से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि इंडियन नर्सिंग कॉउंसिल नई दिल्ली ने अपने पत्रांक दिनांक 9.2.2020 द्वारा सभी नर्सिंग संस्थानों को मान्यता देने के लिये संबंधित राज्यों के परिचारिका परिषद/राज्य सरकार को प्राधिकृत किया गया है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय किया कि नर्सिंग संस्थानों को स्थापित करने व संचालन की मान्यता देने का काम राज्यों की परिचारिका परिषद एवं राज्य सरकार की होगी।
- सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि एक बार डिग्री या डिप्लोमा मिलने के बाद कोई भी नर्स भारत के किसी भी कोने में जाकर सरकारी या गैर-सरकारी नौकरी कर सकेंगे।
- इसके अंतर्गत अब कोई भी छात्र जो नर्सिंग संस्थानों में प्रवेश चाहेंगे, उन्हें राज्य सरकार द्वारा नामांकन हेतु चयन प्रक्रिया से गुजज़ना होगा।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/dhanbad-school-of-nursing-got-recognition